न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 208 / 2023 / सरफैसी

इंडसइंड बैक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय –2401, जनरल थीम्माया रोड़ (केनटोनमेंट) पुणे –411001,महाराष्ट्र तथा शाखा कार्यालय–ब्लॉक ए, 11th Flor, हयात रीजेन्सी काम्प्लेक्स, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

............**प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स हिन्दुस्तान सेल्स एजेन्सीज जरिये पार्टनर दिनेश माण्डोत, पता– शास्त्री सर्कल 452 डी, मोक्ष मार्ग, उदयपुर। 313001

2. दिनेश कुमार मण्डोत (पार्टनर / गारन्टर पता– होटल पथिक के पास, 14 हिरणमगरी शॉपिंग सेन्टर, सिटी स्टेशन रोड, उदयपुर 3130043. भुपेन्द्र माण्डोत पता– होटल पथिक के पास, 14 हिरणमगरी शॉपिंग सेन्टर, सिटी स्टेशन रोड, उदयपुर 313004

4. साधना मण्डोत पता– होटल पथिक के पास, 14 हिरणमगरी,शॉपिंग सेन्टर, सिटी स्टेशन रोड, उदयपुर 313004 मनखुश मण्डोत पता– होटल पथिक के पास, 14 हिरणमगरी, शॉपिंग सेन्टर, सिटी स्टेशन रोड, उदयपुर 313004

6. यशवन्त कुमार मण्डोत, पता– होटल पथिक के पास, 14, हिरणमगरी शॉपिंग सेन्टर, सिटी स्टेशन रोड, उदयपुर 313004

7. हिम्मतसिह माण्डोत पता– होटल पथिक के पास, 14, हिरणमगरी शॉपिंग सेन्टर, सिटी स्टेशन रोड, उदयपुर 313004

............**ऋणी / अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002</u>

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

उपस्थितः श्री मन्जूर खान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक 19-02-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक / वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 90,45,000 / – रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद **(प्लॉट संख्या 14 शॉपिंग सेन्टर,सिटी स्टेशन के सामने, उदयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती साधना माण्डोत पत्नी हिम्मतसिह माण्डोत व श्रीमती मनखुख माण्डोत पत्नी यशवन्त कुमार माण्डोत के नाम से है, जिसका क्षैत्रफल ग्राउण्ड फ्लोर पर 375 वर्गफीट, मेगजीन फ्लोर 375 वर्गफीट, प्रथम फ्लोर 1007.98 वर्गफीट, सैकण्ड फ्लोर 1152.74 वर्गफीट, थर्ड फ्लोर 506.67**

जिला कलक्टर
उदयपुर

वर्गफीट है) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 31.03.2022 तक 91,84,065.82/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 90,45,000/–रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.03.2022 तक 91,84,065.82/–रूपये वसूल किये जाने हैं। ''दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002'' की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **(प्लॉट संख्या 14 शॉपिंग सेन्टर, सिटी स्टेशन के सामने, उदयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती साधना माण्डोत पत्नी हिम्मतसिह माण्डोत व श्रीमती मनखुख माण्डोत पत्नी यशवन्त कुमार माण्डोत के नाम से है, जिसका क्षैत्रफल ग्राउण्ड फ्लोर पर 375 वर्गफीट, मेगजीन फ्लोर 375 वर्गफीट, प्रथम फ्लोर 1007.98 वर्गफीट, सैकण्ड फ्लोर 1152.74 वर्गफीट, थर्ड फ्लोर 506.67 वर्गफीट है)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावें कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर